सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

परीक्षा के सम्बन्ध में केन्द्राध्यक्षों के लिए अत्यावश्यक निर्देश

शास्त्री प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023–26 एवं शास्त्री द्वितीय सेमेस्टर 2022–2025 तथा आचार्य प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023–2025 एवं आचार्य तृतीय सेमेस्टर सत्र 2022–2024 की परीक्षा हेतु निर्धारित किये गये समस्त परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों को निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन नितान्तः रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है कि–

1. परीक्षा की गोपनीय सामग्री प्राप्त करने के लिए तिथि, जिलेवार निर्धारित की गयी है। निर्धारित तिथि पर गोपनीय सामग्री प्राप्त न करने पर परीक्षा केन्द्र निरस्त किया जा सकता है। जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष की होगी।

2. परीक्षा एवं गोपनीय सामग्री प्राप्त कर अपने परीक्षा केन्द्र के स्टाक रजिस्टर/अभिलेख में व्यवस्थित रूप से गोपनीय लिफाफों का तिथिवार विवरण अंकित कर प्रश्नपत्र स्ट्रांग रूम (लोहे की आलमारी) में सुरक्षित रखें। क्योंकि प्रश्नपत्र एवं परीक्षा सामग्री की समस्त सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाये रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी केन्द्राध्यक्ष की ही होगी।

3. केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि सही–सही तिथिवार/पालीवार प्रश्नपत्रों को कक्ष निरीक्षकों के समक्ष ही खोला जाय। यदि इस कार्य में कोई लापरवाही की जाती है तो, सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

4. यदि आपके परीक्षा केन्द्र के साथ किसी अन्य महाविद्यालय को भी सम्बद्ध किया गया हो तो, सम्बद्ध किये गये महाविद्यालय के प्राचार्य को समस्त प्रवेश–पत्र तत्काल उपलब्ध करा दें, जिससे सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों को ससमय प्रवेश पत्र प्राप्त कराया जा सके।

5. नकल विहीन, शुचिता पूर्वक परीक्षा सम्पन्न कराने के लिये परीक्षा का संचालन आवाज युक्त सी0सी0टी0 वी0 कैमरे की निगरानी में राउटर के साथ की जाय और परीक्षा संचालन की रिकार्डिंग डी0वी0आर0 में दो माह तक अवश्य संरक्षित किया जाय।

6. बैक/श्रेणी सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को नियमानुसार शास्त्री एवं आचार्य सेमेस्टर की परीक्षा के किसी एक विषय पत्र में ही प्रविष्ट कराया जाय।

7. **केन्द्राध्यक्ष अपने केन्द्र के सभी परीक्षार्थियों को निर्देश जारी करें कि** उत्तरपुस्तिकाओं के कवर (मुख्य पृष्ठ)पर निर्धारित स्थान पर ही अनुक्रमांक/चयनित विषय आदि लिखें। यदि इसके अतिरिक्त छात्र द्वारा कहीं विशेष रंग के पेन से अनुक्रमांक लिखा जाता है या कोई चित्र व चिन्ह आदि बनाया जाता है तो, ऐसी उत्तरपुस्तिकाओं को **अनुचित साधन प्रयोग** के अन्तर्गत मानते हुए सम्बन्धित पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र की होगी।

8. केन्द्रध्यक्ष, कक्ष–निरीक्षकों को यह भी निर्देश दें कि छात्र द्वारा कवर–पेज (मुख्य पृष्ठ) पर समस्त वांछित सूचनायें अंकित कर दी गयी है, अवश्य सुनिश्चत कर लिया जाय।

9. केन्द्राध्यक्ष, कक्ष निरीक्षको को यह भी निर्देश दें कि वे छात्रों को उनसे, उनके द्वारा चयनित विषय का नाम पूछ कर ही सही विषय का प्रश्नपत्र, दें और कक्ष निरीक्षक छात्रों को भी निर्देश दें कि वे चयनित विषय से इतर/अलग विषय की परीक्षा ना दे अन्यथा उनका परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र की होगी।

10. प्रतिदिन/प्रतिपाली में सीरियल नम्बर के आरोही क्रम में ही उत्तरपुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाये तथा उन्हें तिथिवार/कक्षावार/विषयवार/अनुक्रमांकवार व्यवस्थित कर सीलबंद बण्डल बनायें तथा प्रतिदिन/प्रतिपाली में किस क्रम से किस क्रम संख्या तक उत्तरपुस्तिकायें प्रयोग की गयी है, उसका विवरण

केन्द्रों की उत्तरपुस्तिकाओं के जमा होने के पश्चात् ही उनकी उत्तरपुस्तिकाएं जमा करायी जायेगी। यदि इसमें विलम्ब होता है तो, इस विलम्ब के लिए केन्द्राध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।

20. अवशिष्ट सामग्री जैसे प्रश्नपत्र पैकिंग के छोटे व बड़े लिफाफों को परीक्षा केन्द्र पर ही **नष्ट** कर दिया जाय, विश्वविद्यालय में इसे प्राप्त नहीं किया जायेगा।

21. विगत वर्षो की भांति परीक्षा अवधि में परीक्षा सम्बन्धी उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु परीक्षा **नियन्त्रण कक्ष** स्थापित किया गया है। जिसमें अधोलिखित अधिकारी व कर्मचारी परीक्षा पर्यन्त/दोनों पाली में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

	नाम	**पद नाम**	**मोबाइल नं0**
1.	प्रो0 सुधारकर मिश्र	परीक्षा नियंत्रक	9935409711
2.	श्री मोहित मिश्र	प्रोग्रामर	9450543890
3.	श्री उमेश मणि त्रिपाठी	स0कुलसचिव (प0)	9335387038
4.	श्री पूर्ण प्रकाश पाण्डेय	अधीक्षक	9793891356
5.	श्री जगदीश प्रसाद	वरिष्ठ सहायक	9415686274

22– **उड़ाका दल को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सहयोग हेतु–**

1–परीक्षा केन्द्र संचालन के दौरान उड़ाकादल द्वारा छात्रों को अनुचित साधन प्रयोग करते, पकड़ी गयी उत्तरपुस्तिका, नकल सामाग्री/चिट तथा यू.एफ.एम. प्रोफार्मा जो केन्द्राध्यक्ष, कक्ष निरीक्षक द्वारा पूरित होगा, जिसपर कक्ष निरीक्षक, आरोपित छात्र, केन्द्राध्यक्ष एवं उड़ाका दल के हस्ताक्षर होने की कार्यवाही के बाद, उड़ाका दल के सदस्य उत्तरपुस्तिका, चिट व UFM प्रोफार्मा अपने साथ ले जायेंगे, जबकि छात्र को दी गयी दूसरी उत्तरपुस्तिका अन्य उत्तरपुस्तिका के साथ बूथ प्रभारी के पास मूल्यांकन हेतु जमा कराना केन्द्राध्यक्ष के लिए अनिवार्य होगा।

2–नकल करते पकड़े गये छात्र की नकल सामग्री/चिट सहित उत्तरपुस्तिका व छात्र की पूरित UFM प्रोफार्मा को उड़ाका दल, अपनी **परीक्षा केन्द्र निरीक्षण आख्या** के साथ बंद लिफाफें में कुलपति कार्यालय में जमा करेंगे।

3–उपर्युक्त निर्देश विश्वविद्यालय परिसर के लिए विनयाधिकारी मण्डल की गठित उड़ाका दल के लिए भी समान रूप से प्रभावी होगा।

23–अध्यादेश–

1. यदि कोई भी महाविद्यालय,विश्वविद्यालय के परीक्षा आदि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के आदेश/निर्देश का उल्लंघन करता है तो उस महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कराने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य होगा।
2. यदि कोई अपने केन्द्र पर सामूहिक नकल कराता है या किसी परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाता है या परीक्षा केन्द्र के बाहर उत्तरपुस्तिका को लिखवाता है, की पुष्टि होने पर उनके महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिये बाध्य होगा।
3. परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये पर्यवेक्षक अथवा निरीक्षण दल को यदि कोई केन्द्राध्यक्ष/परीक्षा केन्द्र में जाने से रोकने की कोशिश करेगा अथवा निरीक्षण कार्य में सहयोग नहीं करेगा, तो भी उसके महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यवाही कराने के लिये बाध्य होगा।
4. परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी कदाचार को लेकर यदि परीक्षा समिति किसी महाविद्यालय पर कोई अवमानना शुल्क नियोजित करती है तो, वह अवमानना शुल्क महाविद्यालय को देय होगा, न देने की स्थिति में विश्वविद्यालय सम्बन्धित महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने हेतु कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

पत्रांक–प.नि.6138/24 दिनांक 12.02.2024

१२/०२/२४

(प्रो. सुधाकर मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक
मो.नं.9935409711

केन्द्रों की उत्तरपुस्तिकाओं के जमा होने के पश्चात् ही उनकी उत्तरपुस्तिकांए जमा करायी जायेगी। यदि इसमें विलम्ब होता है तो, इस विलम्ब के लिए केन्द्राध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।

20. अवशिष्ट सामग्री जैसे प्रश्नपत्र पैकिंग के छोटे व बड़े लिफाफों को परीक्षा केन्द्र पर ही **नष्ट** कर दिया जाय, विश्वविद्यालय में इसे प्राप्त नहीं किया जायेगा।

21. विगत वर्षो की भांति परीक्षा अवधि में परीक्षा सम्बन्धी उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु परीक्षा **नियन्त्रण कक्ष** स्थापित किया गया है। जिसमें अधोलिखित अधिकारी व कर्मचारी परीक्षा पर्य्रन्त/दोनों पाली में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

	नाम	पद नाम	मोबाइल नं0
1.	प्रो0 सुधारकर मिश्र	परीक्षा नियंत्रक	9935409711
2.	श्री मोहित मिश्र	प्रोग्रामर	9450543890
3.	श्री उमेश मणि त्रिपाठी	स0कुलसचिव (प0)	9335387038
4.	श्री पूर्ण प्रकाश पाण्डेय	अधीक्षक	9793891356
5.	श्री जगदीश प्रसाद	वरिष्ठ सहायक	9415686274

22– **उड़ाका दल को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सहयोग हेतु–**

1–परीक्षा केन्द्र संचालन के दौरान उड़ाकादल द्वारा छात्रों को अनुचित साधन प्रयोग करते, पकड़ी गयी उत्तरपुस्तिका, नकल सामाग्री/चिट तथा यू.एफ.एम. प्रोफार्मा जो केन्द्राध्यक्ष, कक्ष निरीक्षक द्वारा पूरित होगा, जिसपर कक्ष निरीक्षक, आरोपित छात्र, केन्द्राध्यक्ष एवं उड़ाका दल के हस्ताक्षर होने की कार्यवाही के बाद, उड़ाका दल के सदस्य उत्तरपुस्तिका, चिट व UFM प्रोफार्मा अपने साथ ले जायेंगे, जबकि छात्र को दी गयी दूसरी उत्तरपुस्तिका अन्य उत्तरपुस्तिका के साथ बूथ प्रभारी के पास मूल्यांकन हेतु जमा कराना केन्द्राध्यक्ष के लिए अनिवार्य होगा।

2–नकल करते पकड़े गये छात्र की नकल सामग्री/चिट सहित उत्तरपुस्तिका व छात्र की पूरित UFM प्रोफार्मा को उड़ाका दल, अपनी **परीक्षा केन्द्र निरीक्षण आख्या** के साथ बंद लिफाफें में कुलपति कार्यालय में जमा करेंगे।

3–उपर्युक्त निर्देश विश्वविद्यालय परिसर के लिए विनयाधिकारी मण्डल की गठित उड़ाका दल के लिए भी समान रूप से प्रभावी होगा।

23–अध्यादेश–

1. यदि कोई भी महाविद्यालय,विश्वविद्यालय के परीक्षा आदि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के आदेश/निर्देश का उल्लंघन करता है तो उस महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कराने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य होगा।
2. यदि कोई अपने केन्द्र पर सामूहिक नकल कराता है या किसी परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाता है या परीक्षा केन्द्र के बाहर उत्तरपुस्तिका को लिखवाता है, की पुष्टि होने पर उनके महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिये बाध्य होगा।
3. परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये पर्यवेक्षक अथवा निरीक्षण दल को यदि कोई केन्द्राध्यक्ष/परीक्षा केन्द्र में जाने से रोकने की कोशिश करेगा अथवा निरीक्षण कार्य में सहयोग नहीं करेगा, तो भी उसके महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यवाही कराने के लिये बाध्य होगा।
4. परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी कदाचार को लेकर यदि परीक्षा समिति किसी महाविद्यालय पर कोई अवमानना शुल्क नियोजित करती है तो, वह अवमानना शुल्क महाविद्यालय को देय होगा, न देने की स्थिति में विश्वविद्यालय सम्बन्धित महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने हेतु कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

पत्रांक–प॰नि॰6138/24 दिनांक 12.02.2024

१२/०२/२४

(प्रो॰ सुधाकर मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक
मो॰नं॰9935409711

12/02/24